भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3050
दिनांक 07 अगस्त 2025

एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना

†3050. **श्री भर्तृहरि महताबः**
श्रीमती संध्या रायः
श्री मुकेश राजपूतः
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्री कंवर सिंह तंवरः
डॉ. भोला सिंहः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर सहित देश की शहरी मलिन बस्तियों में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच बढ़ाने और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में नए एलपीजी कनेक्शन जारी करते समय सील परीक्षण, पाइपिंग और रिसाव का पता लगाने इत्यादि जैसे सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नियंत्रण और निरीक्षण प्रणाली क्या है;

(घ) सरकार देश की शहरी मलिन बस्तियों, विशेष रूप से कटक और पालघर जिले जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन लगाते समय सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है;

(ङ) एलपीजी उपभोक्ताओं की सुरक्षा और कटक सहित ग्रामीण भारत में पारंपरिक ईंधन के स्थान पर स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) जैसी कौन सी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं;

(च) क्या सरकार ने प्रवासी श्रमिकों/अस्थायी निवासियों को एक ही स्थान पर एलपीजी कनेक्शन/उपलब्धता प्रदान करने के लिए कुछ छूट दी हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या पहल कीं गई है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) मई, 2016 में शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों सहित देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना जमानत के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। पीएमयूवाई का प्राथमिक उद्देश्य शहरी क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ियों सहित ऐसे गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन एलपीजी तक पहुँच प्रदान करना है, जिससे जलाऊ लकड़ी, कोयला, गोबर आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग, जो गंभीर घरेलू वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं,से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य खतरों को कम

करके उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग महिलाओं को जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के कठिन परिश्रम से मुक्त करता है, खाना पकाने में लगने वाले समय को कम करता है और वनों की कटाई को रोकता है। दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में लगभग 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में 3.50 लाख कनेक्शन शामिल हैं।

इसके अलावा, पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी की पहुँच और किफायत में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की संख्या के संदर्भ में) 3.68 (वित्त वर्ष 2021-22) से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 4.47 हो गई है।

तेल विपणन कंपनियों ने घरेलू एलपीजी के लिए वितरण बुनियादी अवसंरचना में भी काफी सुधार किया है। दिनांक 01 जुलाई, 2025 की स्थिति के अनुसार देश भर में कुल 25,573 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हैं, जिनमें से 17,646 ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं। इन्हें देश भर में स्थित तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के 213 एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों के माध्यम से सेवा प्रदान की जाती है। देश भर में दिनांक 01.04.2016 से 30.06.2025 के दौरान चालू की गई 7997 डिस्ट्रीब्यूटरशिप में से 7403 (अर्थात 93%) [रूर्बन- 1033, ग्रामीण- 4991, दुर्गम क्षेत्रीय वितरक और राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (डीकेवी+आरजीजीएलवी)- 1379] ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं।

(ग) और (घ): क्षेत्रीय निरीक्षण और जाँच-

अनुपालन सुनिश्चित करने और कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए, देश भर में कटक और पालघर जिले सहित तेल विपणन कंपनियों के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा एलपीजी वितरकों का नियमित और औचक निरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा, तेल विपणन कंपनियों के मिलावट रोधी प्रकोष्ठ/गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ और सतर्कता विभाग के अधिकारी भी वितरकों के गोदाम/शोरूम/वितरण बिंदुओं के साथ-साथ रास्ते में भी आकस्मिक जाँच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एलपीजी का कोई दुरुपयोग न हो।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि एलपीजी कनेक्शन की स्थापना के लिए निर्धारित सभी सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने के बाद ही एलपीजी कनेक्शन जारी किए जाएँ। शहरी क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ियों और आदिवासी बहुल क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में कनेक्शन प्रदान करते समय सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान, मानदंड और उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(i) एलपीजी कनेक्शन जारी करते समय प्रत्येक पीएमयूवाई लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन से संबंधित क्या करें और क्या न करें के सचित्र चित्रण के साथ एक लेमिनेटेड सुरक्षा कार्ड प्रदान करना।

(ii) एक प्रशिक्षित मैकेनिक द्वारा उपभोक्ता के परिसर में एलपीजी कनेक्शन की स्थापना करना।

(iii) एलपीजी के सुरक्षा पहलुओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वितरक द्वारा सुरक्षा क्लीनिकों का आयोजन।

(iv) एलपीजी रिसाव की शिकायतों के मामले में तत्काल कार्रवाई के लिए चौबीसों घंटे समर्पित हेल्पलाइन नंबर (1906।

(v) ऑडियो-वीडियो/प्रिंट मीडिया, बैनर/होर्डिंग, लीफलेट, पैम्फलेट आदि के माध्यम से एलपीजी के सुरक्षित उपयोग पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।

(vi) पीएमयूवाई लाभार्थियों में एलपीजी के सुरक्षित और निरंतर उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गांवों में प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायतों का आयोजन करना।

(vii) गैस सिलेंडर नियम 2016 के तहत एलपीजी सिलेंडर, वाल्व और एलपीजी रेगुलेटर की विनिर्माण इकाइयों के लिए अनुमोदन प्रदान करना और इन उपकरणों का डिज़ाइन, भंडारण परिसर का लाइसेंस, सिलेंडर परीक्षण और भराई आदि को विनियमित किया जाता है।

(viii) पीएमयूवाई लाभार्थियों सहित घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं द्वारा एलपीजी सिलेंडरों का सुरक्षित उपयोग तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के तहत शासित होता है।

(ix) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के मानदंडों के अनुसार एलपीजी सिलेंडरों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर परीक्षण किया जाता है।

(ड़): घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं तक पहुंचने के उद्देश्य से "खुशियां अब तीन गुना" थीम के तहत शहरी क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ियों सहित मार्च, 2024 से दिसंबर, 2024 के दौरान एक बुनियादी सुरक्षा अभियान आयोजित किया गया था। अभियान को एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था जिसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता पहल, ग्राहक परिसर में ऑन-साइट सुरक्षा जांच और सुरक्षा होज़ के प्रतिस्थापन द्वारा पूरक किया गया था। इस अभियान ने उपभोक्ता के परिसर में बिना किसी लागत के 12.12 करोड़ से अधिक मुफ्त बुनियादी सुरक्षा जांचे की और रियायती दरों पर 4.65 करोड़ से अधिक एलपीजी होज़ को बदलने के साथ महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की। इसके अतिरिक्त,विभिन्न क्षेत्र सुरक्षा पहलों जैसे एलपीजी पंचायतों और स्कूलों में एलपीजी सुरक्षा क्लीनिकों के साथ-साथ आम जनता की पहुंच के लिए ऑडियो-विजुअल (एवी) सामग्री का उपयोग किया गया था। इन एवीस को अधिकतम पहुँच और प्रभाव के लिए सोशल मीडिया माध्यमों में सांझा भी किया गया था।

(च) और (छ): उज्ज्वला 2.0 के तहत शहरी क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ियों में पीएमयूवाई के तहत एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, प्रवासी परिवारों के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है, जो पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए आवेदन करने हेतु पत्ते और राशन कार्ड के प्रमाण के बजाय स्व-घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। उज्ज्वला 2.0 के तहत अगस्त 2021 से, प्रवासियों के लिए प्रावधान का उपयोग करके 10 लाख से अधिक कनेक्शन दिए गए हैं। कटक और पालघर में बुनियादी सुरक्षा अभियान के दौरान पीएमयूवाई कनेक्शनों की संख्या, घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या, पीएमयूवाई और गैर-पीएमयूवाई के लिए प्रति व्यक्ति खपत, की गई बुनियादी सुरक्षा जांचों की संख्या और बदले गए होज़ों का विवरण अनुलग्नक-क में दिया गया है।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और अधिक किफायती बनाने और उनके द्वारा एलपीजी के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार 14.2 किलोग्राम सिलेंडर (और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए आनुपातिक रूप से)पर 300 रुपये की निर्धारित राजसहायता प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के उपभोक्ताओं को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता प्रदान करने के पश्चात भारत सरकार 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 553 रुपये प्रति सिलेंडर (दिल्ली में) की प्रभावी मूल्य पर उपलब्ध करा रही है। यह देश भर में 10.33 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है।

*****

अनुलग्नक-क

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिया जाने वाले प्रश्न "एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3050 के भाग (च) और (छ) में उल्लिखित अनुलग्नक।

दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार कटक और पालघर का ब्यौरा

	विवरण	**कटक**	**पालघर**
1	घरेलू एलपीजी कनेक्शनों की संख्या	7.03 लाख	11.02 लाख
2	पीएमयूवाई कनेक्शनों की संख्या	2.87 लाख	1.22 लाख
3	आयोजित बुनियादी सुरक्षा जांचों की संख्या	3.02 लाख	3.84 लाख
4	प्रतिस्थापित होज़ की संख्या	1.39 लाख	1. 52 लाख

स्रोत: पीएसयू ओएमसी की ओर से आईओसीएल